न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 50/2018

1 रामप्रताप उम्र 73 वर्ष पुत्र महादेव।
2 कन्हैयालाल उम्र 70 वर्ष पुत्र महादेव।
2/1 श्रीमती सुमन देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी कन्हैयालाल।
2/2 मनीष उम्र 38 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल।
2/3 अजित उम्र 30 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण उतरासर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र रामकुमार।
2 रामरतन पुत्र महादेव।
3 राधेश्याम पुत्र महादेव समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण उतरासर तहसील व जिला झुंझुनू।
4 श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रामनिवास।
4/1 गजानन्द पुत्र रामनिवास।
4/2 ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास।
4/3 भरत पुत्र रामनिवास।
4/4 सुरेश पुत्र रामनिवास।
4/5 रविन्द्र पुत्र रामनिवास।
4/6 मंगना पुत्री रामनिवास सतस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण भड़ौदा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती ओमदेवी पत्नी दामोदर पुत्र महादेव।
6 श्रीमती लिछमा देवी पत्नी विनोद।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6/1 विष्णु पुत्र विनोद।
6/2 मोनिका पुत्री विनोद।
6/3 रेणु पुत्री विनोद।
6/4 छोटी पुत्री विनोद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।
7 श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी बिहारीलाल पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी भापर तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 श्रीमती मनी देवी पत्नी गुलझारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अलीपुर हाल आबाद चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9 श्रीमती केला देवी पत्नी मोहनलाल पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी तिलोटी तहसील व जिला नागौर।
10 श्रीमती नानु देवी पत्नी सोहन पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी रेहड़ा तहसील व जिला चुरू।
11 श्रीमती विधा देवी पत्नी जगदीश पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी अलीपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
12 श्रीमती लाडा देवी पत्नी राधेश्याम पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
13 श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी राधेश्याम पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 श्रीमती ललीता देवी पत्नी राजेश जाति मीणा निवासी उतरासर तहसील व जिला झुंझुनू।
15 श्रीमती सरिता देवी पत्नी ख्यालीराम जाति मीणा निवासी उतरासर तहसील व जिला झुंझुनू।
16 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी सत्यनारायण बनाम रामप्रताप आदि मुकदमा नम्बर (195/2011) 61/2018 दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर (195/2011) 61/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी सत्यनारायण ने ग्राम देवीपुरा की भूमि खसरा नम्बर 478 से 485 बाबत घोषणा बंटवारा व रिकार्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी रेस्पोडेंट का वाद दिनांक 26.05.2016 को अदम हाजरी में खारिज हो गया था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 को वाद को पुन नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पर लेकर तलबी की कार्यवाही चलती रही। दिनांक 15.03.2018 को विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 05.04.2018 को विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2018 की कोई आदेशिका भी नही लिखी गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 8 से 14 की तामील बाबत ही अंकन है। शेष पक्षकारो के सम्बंध में कोई अंकन नही है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की दौराने दावा मृत्यु होने के उपरान्त भी उनके विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया एवं मृत व्यक्तियों के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया। वादी ने गलत तथ्य पेश कर दावा किया है विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व रूप से डिक्री किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में रास्ते का प्रावधान भी नही रखा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में बाजदायरी की नोटिस अपीलांट कन्हैयालाल, रामप्रताप को सम्यक रूप से तामील हुये है विचारण न्यायालय में इनकी जरिये वकील उपस्थिति रही है। विधि अनुसार एक बार तामील पर्याप्त होती है। बार बार तामील करवाना आवश्यक नही है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पक्षकारों की फौतगी की कोई सूचना रिकार्ड पर नही है। अब अपील के स्तर पर इसका कोई विधिक औचित्य नही है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 6 से 14 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया है। इसका कोई खण्डन अपीलांट ने प्रस्तुत नही किया है। सुरजा नाऔलाद फौत हुआ, दानपत्र दिनांक 03.12.1974 के आधार पर नामान्तकरण वर्ष 1975 में तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा इसे आज तक चुनौती नही दी गई है। पुत्रियों/बहिनो ने एकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। अपीलांट ने इसका भी कोई खण्डन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में बाजदायरी की नोटिस अपीलांट कन्हैयालाल, रामप्रताप को सम्यक रूप से तामील हुये है विचारण न्यायालय में इनकी जरिये वकील उपस्थिति रही है। विधि अनुसार एक बार तामील पर्याप्त होती है। बार बार तामील करवाना आवश्यक नही है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पक्षकारों की फौतगी की कोई सूचना रिकार्ड पर नही है। अब अपील के स्तर पर इसका कोई विधिक औचित्य नही है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 6 से 14 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया है। इसका कोई खण्डन अपीलांट ने प्रस्तुत नही किया है। सुरजा नाऔलाद फौत हुआ, दानपत्र दिनांक 03.12.1974 के आधार पर नामान्तकरण वर्ष 1975 में तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा इसे आज तक चुनौती नही दी गई है। पुत्रियों/बहिनो ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। अपीलांट ने इसका भी कोई खण्डन नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर